न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 05 / 2023

अपीलकर्तागण		उतरदातागण
1 चुतराराम 2 आत्माराम पिसरान रूगाराम जाति मेघवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सरपंच ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर 2 टीकमाराम पुत्र खुशालाराम 3 ढेलीदेवी 4 देवी 5 बन्तलीदेवी पुत्रियां खुशालाराम 6 सोनाराम पुत्र खुशालाराम 7 राधादेवी पुत्री खुशालाराम जाति मेघवाल निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री अमित कुमार धनदे वकील अपीलकर्ता पक्ष।

2. श्री राजूराम कुमावत, वकील उतरदाता संख्या 01।

3. श्री दलपतसिंह सिसोदिया, वकील उतरदाता संख्या 02 से 07।

आदेश

दिनांक 04.10.2023

संक्षिप्त में अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3774 दिनांक 05.08.2023 को पारित हुआ जो अपास्त योग्य है। अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 02 से 07 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152 / 1077 रकबा 28.15 बीघा (4. 6134 हैक्टेयर) भूमि आई हुई है, जो उतरदाता संख्या 02 से 07 के पिता खुशालाराम ने उक्त भूमि में से 1 / 3 हिस्सा अर्थात 09.12 बीघा भूमि अपने सगे भाई अपीलान्ट संख्या 01 चुतराराम को वसीयत की गई थी जिस बाबत् खुशालाराम ने वसीयतनामा दिनांक 26.02.2009 को अपीलान्ट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। अपीलान्ट संख्या 01 को 1 / 3 हिस्से की रकबा 09.12 बीघा भूमि पर काबिज कर दिया गया था इसी प्रकार उतरदाता संख्या 02 आत्माराम को वसीयत की गई थी जिस बाबत् खुशालाराम ने एक वसीयत दिनांक 26.02.2009 को अपीलान्ट संख्या 02 के पक्ष निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। अपीलान्ट संख्या 02 को 1 / 3 हिस्से की रकबा 09.12 बीघा भूमि पर काबिज कर दिया गया था तथा उसी दिन अपीलान्टगण के पक्ष में अलग–अलग दो खास मुख्तयारनामा (पावर ऑफ अर्टोनी स्पेशल) निष्पादित कर आत्माराम के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयबद्ध दिनांक 26.02.2009 को करवाया गया। उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि 1 / 3 हिस्सा खुशालाराम का 1 / 3 हिस्सा चुतराराम का व 1 / 3 हिस्सा आत्माराम की खातेदारी में निहित हो गया। उक्त वसीयतनामा की सूचना हल्का पटवारी को दी गई, परन्तु हल्का पटवारी ने नामान्तकरण पारित नही किया गया। उतरदाता संख्या 02 से 07 के पिता खुशालाराम के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 3774 दिनांक 26.07.2023 को हल्का पटवारी द्वारा भरा गया जिसमे खुशालाराम की

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

शेष रही 1/3 हिस्से तक नही कर सम्पूर्ण भूमि अर्थात अपीलान्टगण की वसीयत की गई भूमि के साथ रखते हुए उतरदाता संख्या 02 से 07 के पक्ष में भरा जाकर दिनांक 05.08.2023 को उतरदाता संख्या 01 द्वारा स्वीकृत किया गया, जो पूर्णतया विधि के विरूद्ध है। उक्त नामान्तकरण 3774 दिनांक 26.07.2023 में कानूनी भूल व विधि के विरूद्ध पारित किया गया है जो पूर्णतया अपास्त करने योग्य है। लिहाजा उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3774 दिनांक 26.07.2023 को अपास्त कर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4.6134 हैक्टेयर) भूमि में नये सिरे से नामान्तकरण पारित करवा कर वसीयतनामा के अनुसार अपीलान्ट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 02 से 07 का भी 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर नामान्तकरण पारित करवाने के आदेश फरमावे।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। वकील उतरदाता संख्या 01 उपस्थित। वकील उतरदाता संख्या 02 से 07 उपस्थित। वकील उतरदाता संख्या 01 ने जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः वकील उतरदाता संख्या 01 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील उतरदाता संख्या 02 से 07 की और से इकबाली जवाब, सहमति तथा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4. 6134 हैक्टेयर) भूमि में अपीलान्ट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 02 से 07 का भी 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किया जाता है तो उन्हे किसी प्रकार का एतराज नही है। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि पर अपीलान्ट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 02 से 07 का भी 1/3 हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। लिहाजा उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3774 दिनांक 26.07. 2023 को अपास्त कर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4.6134 हैक्टेयर) भूमि में नये सिरे से नामान्तकरण पारित करवा कर वसीयतनामा के अनुसार अपीलान्ट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 02 से 07 का भी 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किया जाता है तो उतरदाता संख्या 02 से 07 को किसी प्रकार का आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076, नामान्तकरण 3774 दिनांक 26.07. 2023, मृत्य प्रमाण पत्र खुशालाराम, खास मुख्तयारनामा (पावर ऑफ अर्टोनी स्पेशल) दिनांक 25.02.2009 तथा खास मुख्तयारनामा (पावर ऑफ अर्टोनी स्पेशल) दिनांक 25. 02.2009 तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपि व प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा बाडमेर

आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4.6134 हैक्टेयर) भूमि आई हुई है, जो उतरदाता संख्या 02 से 07 के पिता खुशालाराम ने उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा अर्थात 09.12 बीघा भूमि अपने सगे भाई अपीलान्ट संख्या 01 चुतराराम को वसीयत की गई थी जिस बाबत् खुशालाराम ने वसीयतनामा दिनांक 26.02.2009 को अपीलान्ट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। अपीलान्ट संख्या 01 को 1/3 हिस्से की रकबा 09.12 बीघा भूमि पर काबिज कर दिया गया था इसी प्रकार उतरदाता संख्या 02 आत्माराम को वसीयत की गई थी जिस बाबत् खुशालाराम ने एक वसीयत दिनांक 26.02.2009 को अपीलान्ट संख्या 02 के पक्ष निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि 1/3 हिस्सा खुशालाराम का 1/3 हिस्सा चुतराराम का व 1/3 हिस्सा आत्माराम की खातेदारी में निहित हो गया। उतरदाता संख्या 02 से 07 ने भी सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 3774 दिनांक 26.07.2023 को अपास्त कर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4.6134 हैक्टेयर) भूमि में नये सिरे से नामान्तकरण पारित करवा कर वसीयतनामा के अनुसार अपीलान्ट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 02 का 1/3 हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 02 से 07 का भी 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज किया जाता है तो उतरदाता संख्या 02 से 07 को किसी प्रकार का आपति नही है। लिहाजा उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण 3774 दिनांक 26.07.2023 का अपास्त किया जाकर पुनः राजीनामा एवं वसीयतनामा के आधार पर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4.6134 हैक्टेयर) भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3774 दिनांक 26.07.2023 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2152/1077 रकबा 28.15 बीघा (4.6134 हैक्टेयर) भूमि में राजीनामा/वसीयतनामा के दस्तावेजों की सही जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टी दर्ज करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 04/10/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर